बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
BSEIDC
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

आधारभूत संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु मानक प्रक्रिया।

मरम्मति (Repair)

बिहार राज्य अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में मरम्मति (Repair) कार्यो के लिए निम्न मार्गदर्शिका लागू की जाती हैं: –

1. BSEIDC **द्वारा** माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मति हेतु प्रखंडो का Cluster बनाते हुए कर्णांकित राशि की Model प्राक्कलन के आधार पर निविदा की कारवाई की जायेगी।
2. राशि का प्रावधान करने हेतु कुल उपलब्ध राशि मदवार वर्तमान में स्थित सभी विद्यालयों में समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी।
3. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्य समिति द्वारा विद्यालय का चयन किया जायेगा, जिसमें उप विकास आयुक्त, सदस्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य–सचिव होगे। यह समिति Cluster के अधीन विद्यालय परिसरो के मरम्मति हेतु प्राथमिकता का निर्धारण करेगी।
4. जिला पदाधिकारी Cluster में नामांकित प्रखंडों के अंतर्गत स्वीकृत मदवार संख्या में विशेष परिस्थिति में 10% की सीमा तक घटोत्तरी/बढ़ोत्तरी (Cluster की कर्णांकित राशि के अंतर्गत) की स्वीकृति प्रदान कर सकते है।
5. प्रत्येक स्कूल में प्राप्त राशि के लिए आवश्यक मदों का प्राक्कलन तैयार करने एवं स्वीकृति करने में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगाः–
   a) प्रत्येक स्कूल के लिए आवंटित राशि में अधिकतम 5% का विचलन (Variation) का निर्णय कनीय अभियंता द्वारा लिया जा सकेगा।
   b) विचलन की राशि अगर 5% से ऊपर एवं 10% तक हो तो संबंधित सहायक अभियंता द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. मरम्मति कार्यो हेतु Checker/Maker/Approver की व्यवस्थानुसार प्राक्कलन स्वीकृति दी जायेगी।
   a) विद्यालय स्तर पर 0–05 लाख रू० तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति कनीय अभियंता द्वारा दी जायेगी।
   b) विद्यालय स्तर पर 5–10 लाख रू० तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता स्तर से प्रदान की जायेगी।

(258

c) 10 लाख रू० से ऊपर की मरम्मति योजना विद्यालय में नहीं ली जायेगी।

- Maker –निविदोपरान्त संबंधित संवेदक स्थल की आवश्यकतानुसार प्राक्कलन गठित करेंगे।
- Checker – संबंधित कनीय अभियंता द्वारा जाँचोपरान्त 5.00 लाख की सीमा तक योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी, जिसे सहायक अभियंता द्वारा Approve किया जायेगा।
- Approver –5.00 लाख से 10 लाख रू० तक की स्थिति में कनीय अभियंता के जाँचोपरान्त सहायक अभियंता प्राक्कलन Approval देंगे। कार्यपालक अभियंता योजनाओं की Monitoring करेंगे।

7. कार्य Estimate, Built, Operate & Transfer Model पर कराया जायेगा। Work Order issue होने के 15 दिनों के अंदर इसका अनुपालन करना आवश्यक होगा। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–
   - Estimate - कार्य आवंटन (LOA) के पश्चात् एवं एकरारनामा के पूर्व संवेदक को स्थल का निरीक्षण कर स्थल की आवश्यकतानुसार अपना विस्तृत प्राक्कलन समर्पित करना होगा जिसकी स्वीकृति संबंधित कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता कंडिका 04 एवं 05 के अनुरूप किया जायेगा। संशोधित प्राक्कलन की राशि घट–बढ़ सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में कार्य की वित्तीय परिसीमा Cluster राशि के अधीन होगी।
   - Built- अंतिम स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर संवेदक नया Estimate प्रस्तुत करते हुए कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार कार्य पूर्ण करेंगे।
   - Operate- कार्य समाप्ति के उपरांत 01 वर्ष तक भवन का देख–रेख/मरम्मति, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निदेश एवं विद्यालय के आवश्यकता के अनुसार संवेदक द्वारा किया जायेगा।
   - Transfer- संवेदक कार्य समाप्ति के 01 वर्ष उपरांत कार्यपालक अभियंता की उपस्थिति में Standard Format (संलग्न) पर प्रधानाध्यापक को भवन विधिवत् Handover करेंगे।
8. निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन सामान्य विशिष्टियों के अनुरूप बनाया जायेगा, जिसमें यथासंभव स्थानीय सामग्री (दरवाजा/खिड़की/PHE & Electrical Items)) का उपयोग किया जायेगा। सामग्री Local, Durable, ISI Marked, Cost effective एवं Easy to Maintain होना चाहिए।
9. कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) कार्योपरान्त किये गये कार्य के भुगतान हेतु तैयार मापी पुस्तिका को Scan करते हुए PMIS Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त सभी प्रावधान सिर्फ वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस योजनान्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर ही लागू रहेंगे।
11. अन्य योजनाओं/पूर्व स्वीकृत योजनाओं/पूर्व से संचालित योजनाओं पर निर्णय पूर्व के नियमों के अनुसार ही होगे।

18/7